संख्या- 69/2608/तीस-3-14-29बी/2013(3)

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 19 सितम्बर, 2014

विषय :- वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनागत पक्ष में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिये प्रावधानित धनराशि में से रू0 10.00 करोड़ अवमुक्त कर परिवहन आयुक्त के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2120ए/2014-120ए/2013, दिनॉक 08-08-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण में प्रावधानित धनराशि रू0 400000 हजार (रू0 चालीस करोड़ मात्र), जिसमें धनराशि रू0 100000 हजार (रू0 दस करोड़ मात्र) चालू योजना तथा धनराशि रू0 300000 हजार (रू0 तीस करोड़ मात्र) नई मांग के द्वारा स्वीकृत की गयी है, में से चालू योजना की धनराशि रू0 100000 हजार (रू0 दस करोड़ मात्र) अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनॉक 14-03-2014 व कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22-07-2014 द्वारा दिये गये निर्देशों कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(2) आयोजनागत पक्ष की उक्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों के प्रस्तावों का शासन स्तर पर नियमानुसार परीक्षण कराये जाने एवं शासन के अनुमोदनोपरान्त व्यय की जायेगी।

(3) यह धनराशि शासन की स्वीकृति के उपरान्त शासन द्वारा विनिश्चित कार्यों के लिए व्यय की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0

(नर्वेद सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या-69/2608(1)/30-3-2014, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0प0निगम, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0रा0स0प0निगम, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
9- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
10- परिवहन अनुभाग-1
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0

(नर्वेद सिंह)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in